"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205-ब ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 सितम्बर 2005—भाद्र 10, शक 1927

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-71/2004/20.—अध्यापन एवं शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिये योग्य व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया विहित करने हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ —**

इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षक सम्मान पुरस्कार नियम 2005 होगा. ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभावशील होंगे.

2. **पुरस्कार का स्वरूप—**

राज्य सरकार ने अध्यापन एवम् शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दो प्रकार के पुरस्कार स्थापित किए हैं —

2.1 **राज्य स्तरीय पुरस्कार**—चार राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किए गए हैं. प्रत्येक राज्य स्तरीय पुरस्कार रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) का होगा. राज्य स्तरीय पुरस्कार निम्नलिखित होंगे—

2.1.1 डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार

2.1.2 डॉ. गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार
2.1.3 डॉ. मुकुटधर पांडेय स्मृति पुरस्कार
2.1.4 डॉ. बल्देव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार

2.2 **जिला स्तरीय पुरस्कार**—प्रत्येक शैक्षणिक जिले के लिये एक जिला स्तरीय पुरस्कार होगा. प्रत्येक जिला स्तरीय पुरस्कार रु. 11000/- (ग्यारह हजार रुपये) का होगा.

3. **निर्णायक मंडल**—

पुरस्कारों के लिये योग्य व्यक्तियों का चयन करने के लिये एक निर्णायक मंडल होगा. निर्णायक मंडल की सदस्यता निम्नानुसार होगी :—

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् | अध्यक्ष |
| 3.2 | अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल | सदस्य |
| 3.3 | संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् | सदस्य |
| 3.4 | प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय रायपुर | सदस्य |
| 3.5 | संचालक लोक शिक्षण (शिक्षक कल्याण) | सदस्य सचिव. |

4. **चयन की प्रक्रिया**—

पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी—

4.1 चयन के मापदंड तथा आवेदन पत्र का प्रारूप संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किए जायेंगे.

4.2 पुरस्कार प्रदान करने हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा प्रमुख राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा.

4.3 आवेदक अपने कार्यक्षेत्र के जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकेंगे.

4.4 जिला शिक्षा अधिकारी प्रविष्टियों का परीक्षण कर उन्हें संचालक लोक शिक्षण को अग्रेषित करेंगे.

4.5 संचालक लोक शिक्षण प्रविष्टियों का परीक्षण करके पुरस्कारों के संबंध में निर्णय के लिये निर्णायक मंडल को प्रस्तुत करेंगे.

4.6 निर्णायक मंडल संचालक लोक शिक्षण द्वारा प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों पर विचार करके, पुरस्कारों के लिये योग्य व्यक्तियों का चयन करेगा.

4.7 निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

5. **अलंकरण समारोह**—

पुरस्कार प्रतिवर्ष गरिमामय अलंकरण समारोहों में प्रदान किए जायेंगे. राज्य स्तरीय, तथा जिला स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए अलग-अलग अलंकरण समारोह आयोजित किए जा सकते हैं.

6. **नियमों में संशोधन**—

राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके समय-समय पर इन नियमों में संशोधन कर सकेगी.

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,**
**एम. एस. पैकरा,** संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 2-71/2004/20.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-71/2004/20, दिनांक 1-9-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.**

Raipur, the 1st September 2005

NOTIFICATION

No. F 2-71/2004/20.—The State Government hereby makes the following rules to prescribe the procedure for selection of eligible persons for state level and district level award with the objective of rewarding achievement and long commitment to teaching and education, namely :—

1. **Short name and coming into force—**

These rules shall be known as Shiksha Samman Puraskar Niyam 2005. They shall come into force in the entire State of Chhattisgarh immediately.

2. **The award—**

The State Government has instituted two types of award for excellent work in the field of teaching and education :—

2.1 **State level awards**—Four State level awards have been instituted. Each State level award shall be of Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only). State level awards shall be the following—

(A) Dr. Padumlal Punnalal Baxi memorial award
(B) Dr. Gajanan Madhav Muktibodh memorial award
(C) Dr. Mukutdhar Pandey memorial award
(D) Dr. Baldev Prasad Mishra memorial award

2.2 **District level awards**—There shall be a district level award for each education district. Each district level award shall be of Rs. 11,000/- (Rupees eleven thousand only).

3. **Jury—**

There shall be a jury for selection of persons eligible for the awards. The membership of the Jury shall be as follows :—

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | One well known educationist naminated by the State Government | Chairperson |
| 3.2 | Chairman Chhattisgarh Board of Secondary Education | Member |
| 3.3 | Director State Council of Education Research and Training | Member |
| 3.4 | Principal College of Education Raipur | Member |
| 3.5 | Director Public Instructions (Teacher Welfare) | Member Secretary |

**4. Procedure of Selection—**

The procedure of selection for persons eligible for awards shall be as follows :—

4.1 The norms of selection and format of the entry form shall be decided by the Director Public Instructions.

4.2 Director Public Instructions shall invite entries through an advertisement in main state level newspapers.

4.3 Entries shall be submitted to the District Education Officer of the concerned district.

4.4 District Educations Officers shall forward the entries to the Director Public Instructions after exmining them.

4.5 Director Public Instructions shall after examination submit the entries for decision regarding awards to the jury.

4.6 Jury shall select the persons eligible for awards after considering the entries by the Director Public Instructions.

4.7 The decision of the Jury shall be final.

**5. Award Ceremony—**

Awards shall be given every year in award ceremonies. Separate Ceremonies may be organised to give state level and district level awards.

**6. Amendment in the Rules—**

The State Government may amend these rules from time to time by a notification published in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. S. PAIKARA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.